# प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना प्रदेश के 14 जनपदों के 20 वन प्रभागों – पीलीभीत, उ0 खीरी, द0 खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ओबरा, सोनभद्र, रेनुकूट, तथा कतर्नियाघाट, सुहेलवा, कैमूर, काशी व दुधवा वन्य जीव प्रभाग में जापान इण्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी के वित्तपोषण से संचालित की जा रही है। अवनत वनों का सहभागी पुनर्वास व स्थानीय लोगों की जीविका में वृद्धि इस परियोजना के विशिष्ट लक्ष्य हैं। वनों की पुर्नस्थापना व वन सम्पदा की वृद्धि, वन प्रशासन, समूह संगठन व अन्य साझेदारों के द्वारा संपोषित वन प्रबन्ध की प्राप्ति तथा वन्य जीवों को बेहतर प्रबन्ध ा के साथ वनों पर निर्भर लोगों की आय व उनकी जीविका के साधनों में सुधार इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं।

संयुक्त वन प्रबन्ध एवं ईको विकास इस परियोजना के मूलभूत सिद्धान्त हैं। इसमें सामुदायिक संगठन (कम्युनिटी आर्गनाइजेशन) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो परियोजना के मूलभूत उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसमें वनों पर निर्भर लोगों को संयुक्त वन प्रबन्ध के लिए प्रेरित करना, संगठित करना एवं वनों के प्रबन्धन में उनकी साझेदारी को सुनिश्चित करते हुए उनकी जीविका में सुधार लाना एवं वन संवर्धन करना है।

यह मार्गदर्शिका (गाइडलाइन्स) मुख्यतः प्रभागीय प्रबन्धन इकाई (प्रभागीय स्तर पर) के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं एन0जी0ओ0 सपोर्ट आरगेनाइजेशन के विशेषज्ञों के लिए बनाई गयी है जो परियोजना के क्रियान्वयन में सामुदायिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। ये मार्गदर्शिका परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य संस्थायें/विशेषज्ञ के लिए भी उपयोगी होगी। इस मार्गदर्शिका को सोसाइटी फार नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एण्ड कम्यूनिटी डेवलपमेंट, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाया गया है। इसको परिष्कृत एवं उपयोगी बनाने में परियोजना परामर्शदात्री द्वारा अपना अत्याधिक योगदान दिया गया है। परियोजना प्रबन्ध इकाई के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग इसमें सराहनीय रहा है, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्य संभव हो सका।

**रूपक डे**
**मुख्य परियोजना निदेशक**
**परियोजना प्रबन्ध इकाई**
उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध
एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना

# विषय–वस्तु


| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| **1** | **परिचय** | **1–5** |
| 1.1 | उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना – एक परिचय | 1 |
| 1.2 | परियोजना में समुदाय की भूमिका | 1 |
| 1.3 | संयुक्त वन प्रबन्ध (जे0एफ0एम0) : एक परिचय | 3 |
| 1.4 | उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबंधन नियमावली 2002 | 4 |
| 1.5 | इको डेवलपमेंट (पारिस्थितिकी विकास) संकल्प 1999 | 4 |
| 1.6 | मार्गदर्शिका की आवश्यकता और उद्देश्य | 4 |
| 1.7 | मार्गदर्शिका के उपयोगकर्ता | 5 |
| **2** | **परियोजना के हित धारक (साझेदार) अर्थात् स्टेकहोल्डर** | **6–11** |
| 2.1 | पीएमयू और पीएमसी | 6 |
| 2.2 | डीएमयू | 6 |
| 2.3 | एनएसओ | 7 |
| 2.4 | विस्तार कार्यालय समन्वयक | 7 |
| 2.5 | एफएमयू और पी–एनजीओ | 8 |
| 2.6 | एनीमेटर्स | 8 |
| 2.7 | संयुक्त वन प्रबन्ध समिति (जेएफएमसी)/पारिस्थितिकी विकास समिति (ईडीसी) सदस्य | 9 |
| 2.8 | पंचायती राज संस्थाएं | 9 |
| **3** | **समुदाय को संगठित करने के मूल तत्व** | **12–16** |
| 3.1 | परिभाषा | 12 |
| 3.2 | सिद्धांत | 12 |
| 3.3 | उद्देश्य | 13 |
| 3.4 | नियम | 13 |
| 3.5 | अन्य स्मरणीय बातें | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **परियोजना एवं समुदाय** | **17—20** |
| 4.1 | समुदाय को समझना | 17 |
| 4.2 | समुदाय को संगठित करने की आवश्यकता | 17 |
| 4.3 | परियोजना की प्रासंगिकता एवं समुदाय को नियोजित लाभ | 18 |
| 4.4 | समुदाय को संगठित करने की तैयारी | 19 |
| **5** | **समुदाय को संगठित करने के चरण** | **21—39** |
| 5.1 | पंचायती राज सस्थाओं का ओरियन्टेशन | 21 |
| 5.2 | स्थानीय नेतृत्व की सहमति और सहयोग | 21 |
| 5.3 | समुदाय में प्रवेश एवं घनिष्ठता निर्माण | 22 |
| 5.4 | ग्रामीण संदर्भ का विश्लेषण | 23 |
| 5.5 | एनीमेटर की पहचान और क्षमता निर्माण | 24 |
| 5.6 | वनाश्रित परिवारों की पहचान | 26 |
| 5.7 | कोर ग्रुप का चयन और गठन | 27 |
| 5.8 | समुदायों का ओरियन्टेशन एवं आम सहमति बनाना | 28 |
| 5.9 | संयुक्त वन प्रबन्ध समिति (जेएफएमसी)/ईको विकास समिति (ईडीसी) का गठन | 30 |
| 5.9.1 | संयुक्त वन प्रबन्ध समिति (जेएफएमसी) का गठन | 30 |
| 5.9.2 | विद्यमान संयुक्त वन प्रबन्ध समिति (जेएफएमसी) का पुर्नगठन | 31 |
| 5.9.3 | ग्राम वन का चिन्हीकरण, सीमांकन और अधिसूचना | 31 |
| 5.9.4 | पारिस्थितिकी विकास समिति (ईडीसी) का गठन | 32 |
| 5.10 | जेएफएमसी और ईडीसी की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व | 35 |
| 5.11 | समझौता पत्र पर हस्ताक्षर | 37 |
| 5.12 | जेएफएमसी/ईडीसी का क्षमता विकास | 37 |
| 5.13 | मतभेद प्रबन्धन और निवारण | 38 |
| **6** | **समुदाय को संगठित करने का अनुश्रवण** | **40—42** |
| **7** | **अनुलग्नक** | **43—66** |
| 7.1 | अनुलग्नक 1 — उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2002 | 43 |
| 7.2 | अनुलग्नक 2 — ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति समझौता प्रपत्र | 64 |
| **8** | **संक्षिप्तियाँ** | **67—70** |